न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 08/2020

1. सुमेर पुत्र नोरग जाति मेघवाल निवासी हरपालू कुबडी तहसील राजगढ जिला चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. महावीर पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी हरपालू कुबडी तहसील राजगढए जिला चूरू ।

–रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः– 1. श्री देबुसिह अधिवक्ता अपीलांट्

2. श्री दलबीरसिह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

3. श्री विजय पारिक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू के निर्णय दिनांक 30.01.2020 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>निर्णय</u> दिनांकः–05.02.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 30.01.2020 के विरूद्व पेश हुई है । वादगत कृषि ख0न0 46रकबा 2.44 हैक्टर रोही ग्राम हरपालू कुबडी में पहुंच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी के खेत ख0न0 200/22 तादादी 1.52 हैक्टर वाके रोही हरपालू रामसुख तहसील राजगढ जिला चूरू की जोत में से पुराना रास्ता है जिसको राजस्व रेकार्ड में नया मार्ग खुलवाने [illegible] पेश हुआ । जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया।

3. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पो0/वादी ने [illegible] के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 आरटीएक्ट के तहत महावीर बनाम सुमेर पेश किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.01.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:48:12 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया है जो कानूनन गलत होने से खारिज योग्य है । अपीलार्थी ने पुरी तरह से अधिनस्थ न्यायालय में साबित किया है कि प्रार्थी/वादी की और से जिस रास्ते का वर्णन किया गया है व रास्ता किसी भी राजस्व रेकार्ड में उससे संबंधित नही है । प्रार्थना पत्र में जिस जगह पर रास्ते का उल्लेख किया गया है वहां पर भी किसी भी समय रास्ता व पगडंडी नही थी । रेस्पो/वादी व अपीलांट/प्रतिवादी के परिवारो के मध्य समझोता हुआ जिसमें रेस्पो/वादी द्वारा रास्ते के बदले भूमि देने का समझोता हुआ किन्तु इनके द्वारा रास्ते के बदले भूमि नही देने पर यह समझाता कायम नही रह सका । अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में बखुबी साबित करने का प्रर्यास किया की प्रार्थी/रेस्पो0 मुझ अपीलांट से रंजिश रखता है । प्रार्थी/रेस्पो0 वर्तमान में जहां से अपने खेत में बने घर पर आने जाने का रास्ता जो काम में लेता है व प्रार्थी/रेस्पा0 के परिवार में भाई रिछपाल के खेत में से जो रास्ता है उस रास्ते से वर्षो से अपने खेत व खेत मे बने धर पर आने जाने के लिये काम में ले रहा है । प्रार्थी/रेस्पो0 व भाई रिछपाल का किसी समय संयुक्त खाता भी रहा है । रिछपाल के खेत तक ईटो का पक्का रास्ता भी बना हुआ है जो लम्बोर बडी ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है । पूर्व में जो मौका रिपोर्ट पटवारी से व गिरदावर से मंगवाई गयी है व दोनो प्रार्थी/रेस्पो0 के रिश्तेदार है जो सांठगांठ कर रिपोर्ट बनायी गयी है । प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शे में जो रास्ता चाह गया है वो ख0न0 199/22 में से चाह गया है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो रास्ता ख0न0 200/22 का है ख0न0 199/22 जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा विक्रय होकर कनवर्जन की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है तथा ख0न0 200/22 का तादादी 01.2700 हैक्टयर भूमि भी जरिये बैयनामा विक्रय हो चुकी है । इस प्रकार गलत मौका रिपोर्ट पेश की गयी है, मौजुदा माके के हालात अलग जो रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के बिल्कुल विपरित है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ख0न0 200/22 तादादी 1.27 हैक्टयर पर दिनांक 19.03. 2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की हुई है जो आदिनांक तक चली आ रही है । जिससे साबित है कि प्रार्थी/रेस्पो0 को अपने खेत में आने जाने के लिये पहले से ही रास्ता मौजुद है जिसके बावजुद अधिनस्थ न्यायालय ने जानबुझकर व खिलाफ कानून निर्णय पारित किया है जो काबिले अपास्त योग्य है । पटवारी व गिरदावर द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 के रिश्तेदार होने के कारण लाभ पहुंचाने के आश्य से मौका रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.07.2019 को पेश की है उस रिपोर्ट पर अपीलार्थी को सुचना नही दी गयी व ना ही मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेशानुसार अपीलांट/प्रतिवादी को डरा धमकाकर [illegible] वाली राशि की प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षकर करवा लिये गये । इस प्रकार [illegible] तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों के विपरित होने से खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:48:12 IST
Reason: SelfAttested

4. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 अपने खेत ख0न0 46 तादादी 2.44

हैक्टर रोही ग्राम हरपालु कुबडी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । सभी काश्तकारो ने आपसी सहमती से अपने खेतो में आने जाने हेतु सुविधा अनुसार रास्ता देने हेतु समझोता किया था, समझोता अनुसार यह अपील इस न्यायालय में चलनी योग्य नही है जिसमें समर्थन में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 95 पृष्ठ सं0 92–93 पेश की गयी है । समझोते के तहत यह रास्ता रेस्पो/वादी अपने खेत में काश्त करने व अन्य कार्यो के लिये पहुंच के प्रयोजन के लिये अपीलांट के खेत ख0न0 200/22 तादादी 1.52 हैक्टर वाके रोही हरपालु रामसुख तहसील राजगढ जिला चूरू में से सौ वर्ष पुराना रास्ता है जिसकी 16 फुट चौडाई व 82 फुट लम्बाई कुल क्षेत्रफल 1312 वर्गफुट के रास्ते को राजस्व रेकार्ड में नया मार्ग खोलने का आशय रखता हु तथा रास्ते की एवज में रेस्पो0 ने अपीलांट को दिनांक 06.09.18 को अपनी खातेदारी की भुमि ख0न0 46 रकबा 2.44 हैक्टर रोही हरपालु कुबडी तहसील राजगढ जिला चूरू में से उक्त अपीलांट के खातेदारी के खेत ख0न0 200/22 के चिपते हुए रास्ता की भूमि से दुगुनी 2640 वर्गफिट भूमि जरिये ईकरारनामा दी थी फिर भी अपीलांट ने रेस्पो0 के खेत व खेत में बनी ढाणी के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया जो कानूनन गलत था इसलिये रेस्पो0/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 251 क की उपधारा 1 के अधिन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है जो विधि सम्मत है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.01.2020 को पारित करने से पुर्व मौका रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक के अनुसार रेस्पो0/वादी द्वारा बताये गये प्रचलित रास्ता के अस्त्वि का अंकन नही किया गया है ऐसे में इस स्तर पर रेस्पो0/प्रार्थी के जोत में आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने व धारा 251 क आरटीएक्ट की उपधारा 1 के प्रावधानो के अनुसार कृषक को जोत में आवागमन के लिये सुलभ रास्ता उपलब्ध करवाने की मंशा से जो निर्णय पारित किया है व पुर्णतया विधि सम्मत है तथा इसके अलावा अपीलांट/अप्रार्थी को रास्ते में आई भूमि के लिये डीएलसी रेट से दुगुना राशि चुकाने या भूमि के बदले भूमि दिया जाना भी अधिनस्थ न्यायालय में वर्णन किया है । उसी अनुसार रेस्पो/वादी द्वारा अपीलांट को डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान कर दिया गया व अपीलांट/पतिवादी द्वारा यह राशि प्राप्त भी कर ली गयी है । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार व माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशो की पूर्ण पालना करते हुऐ निर्णय पारित किया है जो विधि के अनुरूप है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट व नक्शे से यह साबित है कि रेस्पो0/वादी के खेत व मकान में ज[illegible]ईंटों का पक्का रास्ता लम्बोर बडी ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है । हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रोही हरपालु के ख0न0 199/22 में नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता काफी समय से चला आ रहा है मुल ख0न0 22 [illegible]2500 हैक्टयर भूमि विक्रय कर भूमि का कनवर्जन हो गया जो ख0न0 199/22 व 200/22 में विभाजित हो गया । रेस्पो0/वादी द्वारा ख0न0 200/22 में से रास्ता मांगा गया है किन्तु हल्का पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:48:12 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट ख0न0 199/22 की गयी है जो विरोधाभाषी है । ख0न0 200/22 तादादी 1.2700 हैक्टयर भूमि में से 0.1265 हैक्टयर भूमि जरिये बैयनामा विक्रय हो चुकी है तथा इस भूमि पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 19.03.2020 को पारित किये हुवे है । जिस भूमि पर उसी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद में निषेधाज्ञा जारी की हुई है उसी ख0न0 200/22 में निर्णय दिनांक 30.01.2020 की पालना करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है । ग्राम पंचायत द्वारा रिछपाल के खेत तक ईटों का रास्ता बनाया हुआ है तो रेस्पो/वादी को उसकी सुविधा अनुसार ख0न0 200/22 में रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नही है क्योकि रेस्पो/वादी के खेत व मकान में जाने हेतु पूर्व में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में धारा 251 ए आरटीएक्ट की उपधारा 1 के तहत रास्ता दिया जाना उचित प्रतित नही होता है ।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.2020 को अपास्त किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिंनाक 05.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:48:12 IST
Reason: SelfAttested